महानिदेशालय कारागार, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– स्था./एच.ओ./बोर्डर होमगार्ड/2010 /8000-08 दिनांक 21.05.2010

अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागार,
अजमेर,भरतपुर,जयपुर, कोटा,उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर

विषय :–जेल विभाग में नियोजित 300 बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों के नियोजन एवं कर्तव्यों के सबंध में

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 3128–38 दिनांक 26.04.2010 द्वारा विभिन्न कारागारों पर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिये बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक आवंटित किये गये हैं ।

आवंटित बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक कारागार के मुख्य द्वार पर हथियार बंद गार्ड, मुख्य द्वार पर प्रवेश करने वाले बंदियों, स्टाफ, अन्य व्यक्तियों तथा बंदियों हेतु प्राप्त सामान एवं अन्य सामान की तलाशी तथा मेनवाल के बाहर के क्षेत्र में कारागार की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये तैनात किये जावेंगे ।

बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक के नियोजन तथा कर्तव्य के निर्वहन हेतु निम्न दिशा–निर्देशों की अनुपालना की जावे :–

1. कारागार के मुख्य द्वार के बाहर जेल गार्ड के स्थान पर राईफल के साथ बोर्डर होम गार्ड की गार्ड तैनात की जाये । एक बोर्डर होम गार्ड सन्तरी हमेशा ड्यूटी पर सतर्क एवं उपस्थित रहेगा तथा बाकी गार्ड हमेशा सतर्क–स्थिति (alert position) में रहेंगी । विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त जेल गार्ड तैनात की जा सकती है। हथियार का प्रयोग केवल उपस्थित वरिष्ठतम् जेल अधिकारी के आदेश द्वारा किया जायेगा जो कि राजस्थान जेल मेन्युअल, 1951 के भाग 4 में निर्धारित चेतावनी एवं परिस्थितियों में ही दिया जाये ।

2. कारागार के मुख्य द्वार तथा अन्दर के दूसरे द्वार के माध्यम से प्रवेश/निकास पूर्णतः गेट कीपर के नियंत्रण में रहेगा । किसी भी व्यक्ति (स्टाफ अथवा अन्य) के प्रवेश का गेटकीपर द्वारा अनुमति देने पर उसका नाम आदि गेट रजिस्टर में दिनांक एवं समय के साथ गेट कीपर द्वारा अंकित किया जाये । किसी भी प्रवेश कर रहे व्यक्ति (स्टाफ सहित) यदि कोई सामान अन्दर ले जाया जाता है तो उसका विवरण भी व्यक्ति के नाम के साथ दर्ज किया जाये । निकासी के समय भी व्यक्ति जो सामान साथ लेकर जाये उसे नाम के साथ अंकित करें ।

3. इसी प्रकार मुख्य द्वार के माध्यम से सक्षम अनुमति के पश्चात् समस्त सरकारी/व्यक्तिगत्/बंदी हेतु सामान का विवरण एवं मात्रा गेट कीपर द्वारा पृथक रजिस्टर में अंकित किया जाये ।

4. बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक मुख्य द्वार एवं भीतरी द्वार (कारागार के दोनों द्वारों के मध्य) प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी करने हेतु नियोजित किये जायेंगे । जेल अधीक्षक इस तलाशी कार्य के लिये बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों को पूर्ण

सुविधा उपलब्ध करायेगी । राजपत्रित अधिकारीगण एवं संबंधित कारागार पर कारापाल के अतिरिक्त तैनात समस्त जेलकर्मियों की भी तलाशी ली जाये । बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक तलाशी पूर्ण कर गेट में स्थायी आदेश संख्या 03/2010 दिनांक 20.05.2010 की पालना में संधारित पंजिका में उक्त व्यक्ति के नाम के सम्मुख लघु हस्ताक्षर करेगा तथा तलाशी लिये गये व्यक्ति के पास निषिद्ध वस्तु पाये जाने पर रजिस्टर में अंकित कर गेट कीपर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द करेगा।

5. कारागार के मुख्य द्वार पर राजकीय उपयोग/बंदी/अन्य व्यक्ति हेतु प्राप्त समस्त प्रकार की वस्तुओं का मात्रा एवं विवरण सहित गेट कीपर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 03/2010 दिनांक 20.05.2010 की पालना में संधारित सामान प्रवेश/निकास रजिस्टर में गेट कीपर द्वारा अंकन किया जावे । अंकन के पश्चात् प्राप्त सामान की पूर्ण तलाशी दोनों द्वारों के मध्य नियोजित बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों से करवाई जावे तथा रजिस्टर में उस सामान के किये गये इन्द्राज के सामने तलाशी करने वाले बोर्डर होम गार्ड के लघु हस्ताक्षर करवाये जावें। किसी भी बंदी हेतु सामान की आंशिक/पूर्ण नष्ट अथवा खराब करे बिना तलाशी संभव नहीं होने पर लौटा दिया जाये । बोर्डर होम गार्ड स्वयं सेवक अंकित सामान के अतिरिक्त अन्य वस्तु अधिक मात्रा पाये जाने पर रजिस्टर में उस अतिरिक्त सामान का भी विवरण दर्ज करेंगे तथा उसे गेट कीपर को सुपुर्द करेंगे । उक्त अतिरिक्त वस्तु के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही गेट कीपर द्वारा की जावे ।

6. बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक किसी भी व्यक्ति अथवा सामान का संबंधित रजिस्टर में अंकन एवं तलाशी के पश्चात् ही जेल में आगे जाने देंगे । इस संबंध में गेट कीपर एवं समस्त स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिये जाकर अनुपालना सुनिश्चित करें ।

7. गेट कीपर एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा प्रवेश कर रहे व्यक्ति एवं सामान की पुनः पूर्ण तलाशी ली जाये । इस प्रकार जेल स्टाफ द्वारा ली जा रही तलाशी यथावत रहेगी जो कि अतिरिक्त तलाशी के रूप में जारी रहेगी ।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि दोहरी तलाशी प्रक्रिया केवल किसी भी बंदी/स्टाफ/अन्य व्यक्ति तथा सामान(बंदी का/सरकारी/अन्य) के प्रवेश के लिये ही लागू होगी । समस्त प्रकार के व्यक्तियों एवं सामान की निकासी के समय तलाशी केवल जेलकर्मियों द्वारा ली जायेगी ।

9. इस कार्यालय के स्थायी आदेश संख्या 03/2010 दिनांक 20.05.2010 द्वारा आदेशित बंदियों के प्रवेश एवं निकास,स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियों के प्रवेश एवं निकास, बंदियों के सामान का प्रवेश एवं निकास तथा अन्य सामान के प्रवेश एवं निकास हेतु अलग-अलग रजिस्टर गेटकीपर द्वारा संधारित किये जायेंगे।

10. प्रवेश/निकास पंजिकाओं का प्रतिदिन अधीक्षक अवलोकन कर सुनिश्चित करे कि प्रवेश एवं तलाशी प्रक्रिया पूर्णतः नियमानुसार संपादित की जा रही है।

11. बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों को कारागार की मेनवाल के बाहर सुरक्षा बनाये रखने हेतु नियोजित किया जाये । इसके लिये स्वयंसेवकों को वॉच टॉवर, मेनवाल के बाहर गश्त, जेल परिसर के द्वार पर तैनात किया जाये । इन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सामान्यतः बिना राईफल तैनात किया जाये।

12. बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों द्वारा निर्धारित कर्तव्य–स्थल पर नागरिकों/स्टाफ को प्रवेश नियंत्रण/समूह नियंत्रण करना अपेक्षित होने पर कर्तव्य–स्थल पर जेलकर्मी तैनात किया जाये तथा ऐसे कर्तव्य–स्थल पर बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक केवल जेलकर्मी के सहायक के रूप में कार्य करेगा ।

13. कारागार के मुख्य द्वार का आंतरिक क्षेत्र पूर्णतः केवल जेल स्टाफ के नियंत्रण में रहेगा तथा बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों को कारागार के द्वितीय द्वार के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाये तथा नियोजित नहीं किया जाये । केवल आपात परिस्थिति में (सामान्य तलाशी में नहीं) बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों को इस क्षेत्र में न्यूनतम जेलर के स्तर के अधिकारी के स्वयं के नियंत्रण में साथ ले जाया जा सकता है जिस पर वे उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे । जेल अधिकारी किसी भी परिस्थिति में स्वयंसेवकों को स्वयं के सीधे पर्यवेक्षण एवं निगरानी से बाहर कार्यरत नहीं रखेगा तथा स्थिति पर नियंत्रण होते ही उन्हें जेल के आंतरिक क्षेत्र से बाहर करेगा ।

14. अधीक्षक/उप अधीक्षक/कारापाल स्वयंसेवकों के नियोजन के एक दिन पूर्व बोर्डर होम गार्ड की टुकड़ी के स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श कर उनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर कियान्वयन हेतु स्थानीय बोर्डर होम गार्ड प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे और यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी स्वयंसेवक को सामान्यतः एक दिवस में 8 घण्टे से अधिक ड्यूटी पर नहीं रखा जावे तथा तलाशी एवं अन्य संवेदनशील ड्यूटियों पर तैनात स्वयंसेवक एक ही शिफ्ट में निरन्तर 2 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं रहे । ड्यूटी पर नहीं तैनात समस्त बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक बैरिक में रहेंगे तथा आपात परिस्थितियों में नियोजन हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

आपका यह दायित्व है कि जेल कर्मी एवं बोर्डर होम गार्ड स्वयं सेवक पूर्ण समन्वय से कार्य करें तथा कर्तव्य–निर्धारण में किसी प्रकार का संशय एवं विरोधाभास नहीं रहे । अतः समस्त बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को विस्तार से आवश्यक जानकारी दी जाये तथा उनके द्वारा कार्य संपादन का निकट पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें ।

किसी भी प्रकार से बोर्डर होम गार्ड्स के कार्य में संदिग्धता उत्पन्न होने व अनुशासनहीनता की स्थिति में उनको जेल सेवाओं के सहयोग से तत्काल अलग कर दिया जावेगा तथा दुराचरण रिपोर्ट जेल मुख्यालय के सक्षम अधिकारी/जेल अधीक्षक/होम गार्ड विभाग को भिजवाई जावेगी ताकि आगे की सेवाओं में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जावे ।

भवदीय,

2/5/10

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवंमहानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर